वित्तीय स्वीकृति/राजस्व पक्ष
संख्याः 2060/XVII-3/2017-01(10)/2017

प्रेषक,

कै0 आलोक शेखर तिवारी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 21 नवम्बर, 2017 ~~अक्टूबर, 2017~~

विषयः वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में 'अरेबिया मदरसों को अनुदान' योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि को व्यय किये जाने हेतु निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–653/नि.अ.क./924–बजट मांग/2017–18, दिनांक 29.08.2017, शासनादेश संख्या–995/XVII-3/2016–01(10)/2017, दिनांक 12.06.2017 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 610/3(150)/XXVII-I/2017, दिनांक 30.06.2017 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में 'राजस्व' पक्ष की 'अरेबिया मदरसों को अनुदान' योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹ 75.00 लाख के सापेक्ष उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 12.06.2017 द्वारा पूर्व में स्वीकृत धनराशि ₹ 25.00 लाख के पश्चात् अवशेष धनराशि ₹ 50.00 लाख (₹ पचास लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त संदर्भित शासनादेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उक्त शासनादेश दिनांक 30.06.2017 के प्रस्तर–11 के प्राविधानानुसार वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों की आवश्यकताओं को बजट प्राविधान की सीमा तक ही सीमित रखते हुए धनराशि का व्यय किया जाएगा।
3. योजनान्तर्गत ₹ 50.00 लाख की धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उक्त योजना के अन्तर्गत आच्छादित मदरसें की निरीक्षण आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. मदरसा अरबिया रहमानिया, रूड़की के कार्मिकों के वेतन हेतु स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष संबंधित कार्मिकों को शासन द्वारा अनुमन्य किये गये वेतनमानों में ही वेतन भत्तों का भुगतान किया जायेगा। यदि किसी कार्मिक को शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमानों से अधिक भुगतान किया गया है, तो उसकी वसूली सुनिश्चित की जायेगी। यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व निदेशक एवं वित्त अधिकारी, निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का होगा।
5. अवमुक्त धनराशि का व्यय करते हुए शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2018 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
10. मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के "राजस्व" पक्ष के लेखाशीर्षक "2250–अन्य सामाजिक सेवायें–00–800–अन्य व्यय–07–अरेबिया मदरसों को अनुदान के मानक मद "43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश शासनादेश संख्याः 183/XXVII-I/2012, दिनांक 28.03.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संख्याः S1711150133 ,दिनांक 22 नवम्बर, 2017 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 30.06.2017 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(कै0 आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव।

संख्याः 2060 (1)/XVII-3/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. प्रबन्धक, मदरसा अरेबिया रहमानिया, रूड़की, हरिद्वार।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी.एस. भाकुनी)
उप सचिव।